

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No. 165/2025

IN THE MATTER OF:

RAVINDRA SINGH RAGHUVANSHI

...APPLICANT

Versus

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

.... RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Joint Committee Report in compliance of order dated 01.12.2025 passed by the Hon'ble NGT		1-26
2.	Copy of Order No. F 19-1/2013/12/1 dated 10.4.2013 issued by the the Department of Mineral Resources, Government of Madhya Pradesh	I	27-56
3.	Copy of Letters dated 31.03.2019 and 27.09.2019 issued by the the Department of Mineral Resources, Government of Madhya Pradesh	II	57-60

Date: 16.04.2026

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel



Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Joint Committee Report

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal (CZ) order dated 1st Dec 2025 & 2nd Feb 2026 in Original Application No. 165 of 2025



In the matter of
Ravindra Singh Raghuvanshi
Vs
State of Madhya Pradesh & Ors.

Joint Committee Member:

1. Smt. Ranjana Patidar, SDM, Nagda, District, Ujjain
2. Shri Sunil Kumar Meena, Additional Director, CPCB, Bhopal
3. Dr. Deepak Kale, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Ujjain

Date of committee visit : 29th December 2025
16th to 18th March 2026

Joint Committee Report

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Central Bench vide its order dated 01.12.2025 in the Original Application No.165/2025 in the matter of Ravindra Singh Raghuvanshi Vs State of Madhya Pradesh directed as under Para No. 1 & 6:

Para 1 “ *This application has been filed alleging illegal excavation, extraction, storage and transportation of yellow soil being carried out in Juna Nagda area (Ward No. 01) of Municipal Council Nagda -Respondent no. 9 in District Ujjain (M.P.) without any statutory permissions, EC, and consent under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 or authorization under the Madhya Pradesh Miner Mineral Mining Rules, 1996 and 2022. This illegally mined soil is being supplied to more than 1000 illegal and unauthorized brick-kilns units established in the limits of the Nagda causing severe and irreversible ecological degradation, depletion of water and top soil damaging to the government land*”.

Para 6. “*We deem it appropriate to constitute the joint committee comprising one member each of State Pollution Control Board, District Collector - Ujjain, Central Pollution Control Board. The State Pollution Control Board shall be the nodal agency. We direct the committee to visit the site, point out the names of the persons who are indulging in this illegal activity and find out the necessary permissions which are required for this kind of activity. The report shall be submitted by the Committee within one month by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF*”.

In compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), a committee comprising the following officers was

constituted to visit the site, assess and document the factual status of ongoing activities in the area, identify any illegal operations and the persons involved, and examine the applicable rules and regulations in the context of mining and environmental clearances. The committee is mandated to evaluate the situation in accordance with the prevailing legal and regulatory framework.

1. Smt. Ranjana Patidar, SDM, Nagda, District, Ujjain
2. Shri Sunil Kumar Meena, Additional Director, CPCB, Bhopal
3. Dr. Deepak Kale, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Ujjain

1.0 Committee field visit:

The Committee initially visited the site, i.e., Juna Nagda and nearby villages, where brick manufacturing and yellow soil mining activities had been reported. On the date of inspection, 29.12.2025, only a few brick manufacturing units were found operational, and no active mining activity was observed. The Committee noted that, in anticipation of the proposed visit of the Hon'ble NGT Committee, the owners of the brick kilns and both legal and illegal mining operators appeared to have intentionally ceased operations. Under such circumstances, the Committee was of the view that a comprehensive survey of the brick manufacturing units was not feasible, and identification of the mining operators was also not possible. Accordingly, the Committee decided to seek an extension of time from the Hon'ble Tribunal, which was granted vide its order dated 02.02.2026.

The Committee scheduled its second visit from 16.03.2026 to 18.03.2026 to conduct a detailed survey of the ongoing brick manufacturing activities, yellow soil mining, etc. Prior to undertaking the field survey, certain sites of possible mining activity, both past and present, were identified with the help of Google Earth Pro.

There are few prominent villages in Nagda where brick manufacturing &

mine is ongoing viz. Bhimpura, Ghidgad, Parmarkhedi, Bhagatpuri, Kilodiya, Khajuria, Jhanjhakhedi, Juna Nagda & Nipaniya. Same where highlighted by the applicant in his original application. To survey these villages respective Patwari's of these villages and mining inspector was included for this task. Following patwari's executed the survey with Central Pollution Control Board (CPCB) & Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) field staff.

S.No.	Name of the Patwari	Village covered	Total Brick plant surveyed
1	Sh Rajesh Sharma	Bhimpura, Ghidgad & Nipaniya	54
2	Sh Sanjay Patidar	Parmarkhedi, Bhagatpuri & Kilodiya	29
3	Sh Kamal Anjana	Khajuria & Jhanjhakhedi	09
4	Sh Amit Paliwal	Juna Nagda	76

Sh Ramesh Solanki, Mining Inspector, Ujjain joined the committee to assist to identify the legal & illegal mining operation.

The committee with the assistance of CPCB, MPPCB field staff and Patwaris and mining inspector surveyed total 168 brick plants spread in these 09 villages and also surveyed 14 mining sites (05 in Geedgarh, 04 in Juna Nagda, 3 in Khajuriya & 2 in Bhimpura).

2.0 Prevailing Mine & Environmental rules

1. Under rule 3 (1) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 exemptions (Nothing in these rules shall apply to) are provided:

*“The extraction of clay or sand, by a hereditary kumhar, a member of a Scheduled Caste or a member of a Scheduled Tribe or a Cooperative Society of such kumhars or members of Scheduled Castes or members of Scheduled Tribes for preparing tiles, pots or bricks by **traditional means**, but not by the process of manufacture in kilns or any mechanical*

*means, from the area that the **Gram Sabha may decide** and earmark within their respective jurisdiction for such purpose.*

Provided that no quarrying shall be done within a distance of 100 metres from a bridge, national/state highway, railway line, public place, river bank, nalas, canal, Reservoir, dam, any natural water course or any water impounding structure, 10 metres from grameen kacha rasta”.

This exemption allows hereditary Kumhar, Schedule Caste (SC) & Schedule Tribes (ST) to mine from the Gram Sabha designated area for making tiles, pots, or bricks using traditional means.

2. Further, Department of Mineral Resources, Madhya Pradesh Govt vide its order dated 10.4.2013, provided clarification on the royalty fee & transit pass.

The circular stipulates that no royalty shall be applicable for traditional/hereditary Kumhar communities and persons belonging to SC/ST categories for extraction of minor minerals. It further prescribes a procedure to prevent misuse and illegal transportation of minor minerals by persons other than the exempted categories. As per the procedure, the Gram Panchayat shall identify the mineable area, and the eligible/exempted person shall approach the Nayab Tehsildar/Tehsildar for authentication. The authentication process shall record the existing status of the mineable area, the estimated quantity of mineral available and the permissible period of extraction. Based on such authentication, the Department of Mineral Resources shall issue a transit pass without levy of royalty, which shall be used during transportation of the mineral by the authorized person or community. A copy of the order dated 10.04.2013 is enclosed as **Annexure-I.**

3. Further, the Department of Mines and Geology, vide its letter dated 31.03.2019, directed all Collectors of Madhya Pradesh to take necessary action in accordance with the decisions taken in the meeting

held on 23.03.2019. The decisions primarily stipulated that the permissible mining period shall be three years, the allowable depth of mining from the surface shall be up to 3 meters, and brick manufacturing shall be permitted up to a limit of 10 lakh bricks. Subsequently, vide letter dated 27.09.2019, it was clarified that exemption from royalty shall continue to be applicable irrespective of whether the brick production is up to 10 lakh or exceeds the said limit. Copy of the letters dated 31.3.2019 & 27.9.2019 are enclosed as **Annexure-II**.

4. CPCB published its document on “Classification of Sectors into Red, Orange, Green, White and Blue Categories” in Jan 2025, wherein under *S.No. 5.1 ‘Brick kilns using coal as fuel’ & S.No. 24.2 ‘Ceramics/ Glass /Earthen potteries and tile manufacturing using coal/oil fired kilns (fuel consumption: less than 12TPD)’*

Both activities were categorized under ‘**Orange Category**’ based on the (Air , Water & Hazardous Waste) pollution potential. Same classification was adopted by MPPCB vide its letter dated 10.6.2025.

However, it is pertinent to mention that brick manufacturing in Nagda, and more broadly across Madhya Pradesh, is predominantly carried out using the **CLAMP method**, wherein no permanent kiln structure is installed and green (unfired) bricks are stacked with coal and biomass serving as fuel. At present, there is no specific regulatory classification or clearly defined operational framework governing brick manufacturing units operating under the clamp method.

This process involves the use of soil, coal, biomass, and in certain cases fly ash, and results in uncontrolled emissions of particulate matter (PM), sulphur dioxide (SO₂), and other air pollutants due to the absence of any emission control systems. Additionally, the handling and open storage of raw materials contribute significantly to fugitive emissions. It has also been observed that such units are generally operating in

cluster formations, particularly in villages located near river banks, without adherence to any prescribed siting criteria.

In view of the above, there exists a regulatory gap in both classification and environmental oversight of clamp-based brick manufacturing units. Such units are presently not explicitly categorized under the existing pollution control framework; therefore, they may either be considered under the “Orange” category or require a distinct and specific classification with defined environmental standards. The current situation indicates potential non-compliance with established environmental norms, including **absence of consent mechanisms**, lack of emission control measures, unregulated siting, and possible unauthorized extraction of soil, thereby necessitating appropriate regulatory intervention.

3.0 Outcome of the field survey

As exemption has been provided to certain castes and communities, namely Kumhar, SC, and ST, this aspect was duly considered during the survey to ascertain the identity and category of the operators of the brick manufacturing units.

The survey of brick manufacturing units established in nine villages located along the left and right banks of the Chambal River, namely Bhimpura, Ghidgad, Parmarkhedhi, Bhagatpuri, Kilodiya, Khajuria, Jhanjhakhedi, Juna Nagda, and Nipaniya, revealed that the predominant operational period extends from October to June, i.e., approximately 7–8 months annually. The number of operational days ranges between 180 and 210 days per year. The duration from firing to cooling of bricks is generally around 45 days.

During the field visit, it was observed that the number of operational batches at individual brick units varied between 1 and 4. Based on an average of two batches per unit, it is estimated that approximately 300–400 batches are in operation concurrently across the surveyed

area. The batch sizes varied from 25,000 to 2,00,000 bricks. The survey revealed that, for the manufacture of 10,000 bricks (brick size 8 inch*4inch*4inch), the approximate material requirement is 24–25 tonnes of soil, 1 tonne of coal, 1 tonne of biomass, and 2.5 tonnes of fly ash. The water requirement is majorly fulfilled through Chambal River, open well, borewell & open drain. None of the brick plant operator was able to state the exact source of yellow soil. The coal is received through coal depo established at Nagda. The fly ash is majorly supplied by nearby industry M/s Grasim at Nagda. During the visit, the soil, coal, fly ash & biomass and ash of brick plant were found stored openly, that was resulting in fugitive emission. Further, there was no effective plantation found carried out by brick manufacturer. Even the mining of yellow soil was carried out deeper than the 3 meters condition. It was also observed that for the sake of leveling of the agriculture land, mining of yellow soil is being done and same is sold to brick manufacturing making it totally a commercial activity in light of the exemption provided under Minor mineral rule, 1996. Further the nearest brick unit established from habitation and Govt Anganwadi was 10m & 65m far respectively at Bhimpura village. That state the absence of siting criteria.

The survey also revealed that brick units are operational on private as well as on government land. That state the encroachment on govt land by the brick manufacturers. The soil is sources majorly from Khajuria, Geedgarh villages, pertinent to mention that there is no area is identified for mining by the gram panchayat and even the revenue department has also not provided any authentication & transit pass. This state the complete illegality in the area.

The details of the community engaged in the brick manufacturing, estimated brick production, soil & coal requirement in the surveyed villages is as tabulated below:

Village & total brick plant	Communities involved in brick manufacturing	Annual production of Brick (Approx.)	Approx. requirement of Soil in Tons	Approx. requirement of Coal in Tons
Geedgarh (19)	Gurjar - 01 Kumhar - 17 Muslim - 01	92 Lacs	23000T	920T
Bhimpura (35)	ST - 01 SC - 01 Kumhar - 33	1.2 Cr	30000T	1200T
Jhanjakhedi (02)	Kumhar - 02	6.5 Lacs	1625T	65T
Khajuria (07)	SC - 02 Rajput - 01 Kumhar - 04	21.6 Lacs	5400T	216T
Bhagatpuri (13)	ST - 01 Muslim - 01 Kumhar - 11	16.5 Lacs	4125T	165T
Kilodiya (02)	Kumhar - 02	4 Lacs	1000T	40T
Parmarkhedi (14)	Kumhar - 11 SC - 02 Dhobi - 01	33 Lacs	8250T	330T
Juna Nagda (76)	SC- 11 Kumhar - 58 Rajput - 05 ST - 01 Thakur - 01	1.15 Cr	28750T	1150T

The above table indicates that a total of 168 brick manufacturing units, each having a minimum of two operational batches as observed during the survey, are estimated to produce approximately 4 crore bricks. This level of production requires about 1 lakh tonnes of soil and approximately 4,000 tonnes of coal. In the absence of any Gram Panchayat-identified mineable area and without authentication by the district administration, such excavation to the extent of 1 lakh tonnes constitutes illegal mining. Further, considering an average sulphur content of 0.5% in Indian coal, the estimated sulphur dioxide (SO₂) emission is about 40 tonnes per annum, which is significant and indicative of substantial air pollution load in the area.

3.1 Illegal soil mining site:

Based on the historical satellite images 14 sites were identified where excavation was evident. Same were verified on field. The details are as given below:

Site 1 : Khasra No. 406/2, Village – Geedgarh

Geo-location – 23.490194, 75.395989

Ownership : Private Land

Owner – Mrs. Parvati Bai w/o Shri Pappu Prajapat (Kumhar community)

Excavation ongoing since – Approx. 1 year
Dimension of excavation site on 03.12.2025 : 30m * 12m * 3m

Dimension of excavation site on Committee Visit : 45m * 15m * 4m

Use of excavated soil : In brick units operated by owner at Bhimpura village; also supplied to other brick units

Excavation depth: 4m (exceeding the stipulated limit i.e. 3m)

Permission status : No revenue authentication and no valid transit pass

Additional Observations :

- Excavation carried out using JCB machines hired from Nagda
- Operators of three brick units, namely M/s Dipak Int Bhatta, M/s Rakesh Prajapati, and M/s Firoj Int Bhatta, reported procurement of soil from Shri Pappu Prajapat
- Mining Department inspected the site on 03.12.2025 following a public complaint; however, excavation continued thereafter and expanded beyond the earlier recorded dimensions



Site 1 : Khasra no. 406/2, Mrs Parvati Bai W/o Pappu Prajapat

Site 2 : Khasra No. 408, Village – Geedgarh

Geo-location – 23.491687, 75.393903

Owner – Shri Amba Ram (Scheduled Caste)

Excavation ongoing since – Approx. 1 year

Dimension of excavation site on 03.12.2025 :
30m*30m*3.6m

Dimension of excavation site on Committee Visit :

95m* 90m*8m

Use of excavated soil : Sale of excavated soil (no brick manufacturing unit owned)

Excavation depth: 8m (exceeding the stipulated limit i.e. 3m)

Permission status : No revenue authentication and no valid transit pass

Additional Observations :

- Mining Department inspected the site on 03.12.2025 in response to a public complaint
- Excavation activity continued thereafter and expanded substantially beyond the earlier recorded dimensions
- The scale and depth of excavation indicate significant violation of prescribed mining norms and constitute prima facie illegal mining activity



Site 2 : Khasra no. 408, Mr Ambaram, Geedgarh

Site 3 : Khasra No. 407, Village – Geedgarh**Geo-location – 23.491588, 75.394179 (Site 3a)****23.490939, 75.394652 (Site 3b)****Owner – Shri Maangu s/o Kanaji Gurjar (OBC Category)****Excavation ongoing since – Approx. 1 year****Dimension of excavation site on 03.12.2025 : 43m*17m*4m****Dimension of excavation site on Committee Visit :**

- Site 3a : 25m * 14m * 5m
- Site 3b : 62m * 85m * 6m

Use of excavated soil : Sale of excavated soil (no brick manufacturing unit owned)**Excavation depth:** Up to 6m (exceeding the stipulated limit i.e. 3m)**Permission status :** No revenue authentication and no valid transit pass**Additional Observations :**

- Excavation carried out over two adjacent locations within the same khasra
- Mining Department inspected the site on 03.12.2025 in response to a public complaint
- Excavation activity continued thereafter and expanded beyond the earlier recorded dimensions
- The scale, depth, and continued operation indicate significant violation of prescribed mining norms and constitute prima facie illegal mining activity

**Site 3 : Khasra No. 407, Village – Geedgarh**

Site 4 : Khasra No. 401/2 & 398/2, Village – Geedgarh

Geo-location – 23.489522, 75.395238

Owner – Government (Reserved for Int Bhatta Seva Samiti)

Excavation ongoing since – Approx. >1 year

Dimension of excavation site on Committee Visit : 55m * 30m * 5m

Excavation depth: 5m (exceeding the stipulated limit i.e. 3m)

Permission status : No revenue authentication and no valid transit pass

Additional Observations :

- The land is reserved for Int Bhatta Seva Samiti; however, excavation is being carried out without following due procedure
- The age and extent of excavation indicate prolonged and unregulated activity
- The depth and absence of statutory permissions indicate violation of prescribed mining norms and prima facie illegal excavation. activity



Site 4 : Khasra No. 401/2 & 398/2, Village – Geedgarh

Site 5 : Khasra No. 496, Village – Geedgarh

Geo-location – 23.487347, 75.398334

Owner – Sh Mukesh s/o Sh Madan Lal Prajapat

Excavation ongoing since – 2012 (Stopped recently)

Dimension of excavation site on 3.12.2025 : 80m*20m*4m

Dimension of excavation site on 17.3.2026 : 80m*20m*6m

Use of excavated soil : In brick unit established at Khasra No. 497 & 491

Excavation depth: 6m (exceeding the stipulated limit i.e. 3m)

Permission status : Currently, No permission of site authentication, transit pass



Site 5 : Khasra No. 496, Village – Geedgarh

Site 6 : Khasra No. 241/1, Village – Bhimpura**Geo-location – 23.484382, 75.410451****Owner – Govt & private land****Excavator – Sh Sharwan s/o Mangilal Bagri****Dimension of excavation site on 17.3.2026 : 90m*60m*3m
& 55m*30m*2.5m****Use of excavated soil : Illegally excavated soil sold to brick units****Excavation status: First time came in knowledge of mine dept****Permission status : No permission obtained****Site 6 : Khasra No. 241/1, Village – Bhimpura****Site 7 : Khasra No. 91, Village – Bhimpura****Geo-location – 23.493780, 75.413677****Owner – Private land****Excavator – Sh Kamlesh s/o Sh Balram****Dimension of excavation site on 9.1.2026 : 32m*19m*1.9m****Dimension of excavation site on 17.3.2026 : 50m*50m*3.2m****Use of excavated soil : Excavated soil used to own brick unit established at Khasra no. 91****Permission status: No permission obtained.****Site 7 : Khasra No. 91, Village – Bhimpura**

Site 8 : Khasra No. 103/3/2, 103/3/3, Village – Khajuria

**Geo-location – 23.491952, 75.419486 (Sh Ajay Prajaapt)
23.491603, 75.419026 (Sh Mangu Gurjar)**

Owner – Private land (Demarcation of Sh Ajay & Sh Mangu is pending)

Excavator – Sh Mangu Gurjar & Sh Ajay Prajapat

Excavation started in : year 2016

Dimension of excavation site on 17.3.2026 :

- 60m*25m*5m – By Sh Mangu Gurjar (Not exempted under minor mineral rule)
- 40m*60m*4m – By Sh Ajay Prajapat

Use of excavated soil : Excavated soil used to brick unit established in village Khajuriya

As informed by Sh Ajay Prajapat, the illegal selling of soil is being done by Sh Mangu Gurjar, who is not under the exemption category.

Permission status: No permission obtained.



Site 8 : Khasra No. 103/3/2, 103/3/3, Village – Khajuria

Site 9 : Khasra No. 186/2/2, Village – Khajuria**Geo-location – 23.490634, 75.427637****Owner – Private land (Sh Antar singh s/o Ramnath singh)****Excavator – Sh Radheshyam s/o Sh Gopal Singh, Khajuria
Sh Shreepal singh s/o Sh Prahlad singh,
Jhajhakhedi****Dimension of excavation site on 17.2.2024 :30m*90m*4m****Dimension of excavation site on 17.3.2026 :** Stopped after the matter registered by mining dept in year 2024**Permission status:** No permission obtained.**Site 9. Khasra No. 186/2/2, Village – Khajuria****Site 10 : Khasra No. 183, Village – Khajuria****Geo-location – 23.492537, 75.429718****Owner – Private land (Sh Kishan singh s/o Bhuwan singh
Gurjar)****Excavator – Sh Kishan singh – NOT EXEMPTED under
Minor mineral rule****Excavation - ONGOING****Dimension of excavation site on 17.3.2026 :48m*30m*3.5m****Earlier case filed :** NEW excavation found during survey**Use:** Sold illegally to brick units**Permission status:** No permission obtained



Site 10 : Khasra No. 183, Village – Khajuria

Site 11 : Khasra No. 95/1, Village – Juna Nagda

Geo-location – 23.474980, 75.412043

Owner – Private land (Sh Peeru lal s/o Sh Bagdi ram Prajapat)

Excavator – Sh Peeru lal

Excavation - ONGOING

Dimension of excavation site on 18.3.2026 :17m*12m*4.1m

Earlier case filed : NEW excavation found during survey

Use: As stated by the land owner, the soil was dugged for constructing a pond for fishery. A letter dated 12.1.2026 of Fishery department was also furnished. The dugged out soil was used in leveling of own land.

Permission status: No permission obtained.



Site 11 : Khasra No. 95/1, Village – Juna Nagda

Site 12 : Khasra No. 104/1, Village – Juna Nagda

Geo-location – 23.476707, 75.408976

Owner –

- Private land (Sh Shankar s/o Sh Ganpat Prajapat) – Khasra no. 104/1
- Govt land Khasra no. 28

Excavator – Sh Shankar s/o Ganpat Prajapat

Excavation - ONGOING

Dimension of excavation site on 18.3.2026 :50m*180m*5m

Earlier case filed : NEW excavation found during survey

Use: Sold to other brick units. Excavation is going on since last 3-4 years

Permission status: No permission obtained.



Site 12 : Khasra No. 104/1, Village – Juna Nagda

Site 13 : Khasra No. 88, Village – Juna Nagda

Geo-location – 23.472631, 75.410438

Owner – Sh Bhom singh s/o Sh Nahar singh

Excavator – Sh Bhom singh s/o Sh Nahar singh

Excavation – Stopped

Dimension of excavation site on 18.3.2026 : Wheat crop cultivation was observed.

Use: It was informed that soil was dugged for leveling the own agri field.

Permission status: No permission obtained.



Site 13 : Khasra No. 88, Village – Juna Nagda

Site 14 : Khasra No. 223, Village – Juna Nagda

Geo-location – 23.476554, 75.414677

Owner – Sh Aashiq Sabir s/o Sh Saabir { The ownership dispute with Sh Ankit Parmar s/o Sh Panna Lal Parmar is also prevailing for this Khasra no.}

Excavator – Sh Aashiq Sabir s/o Sh Saabir


Excavation – Stopped

Earlier inspection : Mining dept conducted inspection on 20.11.2024 that time the recorded dimension of the dugged pit was 50m*45m*5m

Dimension of excavation site on 18.3.2026 : Water logging in the dugged mine pit. Average dept was approx. 5m

Use: It was informed that soil was dugged for leveling the own agri field.

Permission status: No permission obtained.



Site 14 : Khasra No. 223, Village – Juna Nagda

4.0 Observations:

The matter pertains to large-scale illegal excavation, storage, transportation, and utilization of yellow soil for brick manufacturing without obtaining statutory permissions, resulting in significant environmental degradation and systemic regulatory non-compliance. The field assessment clearly establishes that the activities are not isolated but are being carried out in an organized and clustered manner across multiple villages in the Chambal river basin.

The field survey of 168 brick manufacturing units across nine villages indicates an estimated production of approximately 4 crore bricks per annum. This scale of operation requires substantial resource input, estimated at around 1 lakh tonnes of soil & 4000 tonnes of coal annually. The units are operating in clusters, primarily near riverbanks, which further aggravates the cumulative environmental impact. Based on the coal consumption and an average sulphur content of 0.5% in Indian coal, the estimated sulphur dioxide (SO₂) emission is approximately 40 tonnes per annum. In addition to this, significant particulate matter emissions are generated due to uncontrolled combustion practices, along with fugitive dust emissions arising from open handling and storage of soil, coal and ash. The absence of stack-based systems results in ground-level pollutant dispersion, leading to higher localized exposure.

From an environmental standpoint, the brick manufacturing process, predominantly based on the clamp method, operates without any emission control mechanisms. The absence of permanent kiln structures and Air Pollution Control Devices (APCDs) results in uncontrolled emissions of particulate matter, sulphur dioxide, and carbon monoxide, in violation of the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and prescribed emission norms. Further, the environmental damage extends to land degradation, where excavation depths of up to 8 meters have been observed against the permissible limit of 3 meters. Such excessive excavation leads to irreversible loss of topsoil, formation of deep pits and instances of water logging, thereby adversely affecting land usability and agricultural productivity. The absence of greenbelt development, combined with cluster-based operations, results in amplified cumulative impacts on the local environment and habitat.

A critical observation is the evident commercialization of activities under the guise of exemption provided under Rule 3 of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996. While the exemption is intended for traditional, small-scale activities by specified communities, the present operations involve

industrial-scale production, mechanized excavation using JCB machines and large-scale sale and distribution of excavated soil, including by persons not eligible under the exemption category. This clearly establishes that the activities are commercial in nature and do not qualify for the intended exemption.

Further, the entire chain of operations reflects multiple regulatory violations. No Gram Panchayat–designated mining areas were identified, nor was any evidence found of revenue authentication or issuance of transit passes. Consequently, the extraction of approximately 1 lakh tonnes of soil is deemed illegal. Additionally, none of the units were found to have obtained mandatory environmental clearances or consent to establish/operate under the Air Act, 1981, Water Act, 1974, and Environment (Protection) Act, 1986. The exemption provisions appear to have been misused as a shield to bypass regulatory requirements, including involvement of non-exempted individuals in mining and soil trading activities.

It is also pertinent to highlight that clamp-based brick manufacturing units are not explicitly covered under existing CPCB classification frameworks, resulting in a regulatory gap with no defined emission standards or operational guidelines. This absence of classification has contributed to unregulated proliferation of such units. Furthermore, significant siting violations were observed, with brick units located as close as 10 meters from residential areas and about 65 meters from Anganwadi centers, indicating non-compliance with basic public health and environmental safeguards.

Overall, the findings indicate a systematic pattern of illegal mining coupled with unregulated industrial activity, facilitated by misuse of regulatory exemptions and lack of effective enforcement, leading to substantial environmental and public health impacts.

Following are the 14 sites where illegal excavation in light of the Dept of Mine & Geology letter dated 31.3.2019. The details are as tabulated below:

Site	Khasra	Village	Person identified	Nature of violation
1	406/2	Geedgarh	Sh Pappu Prajapat	Excavation + supply
2	408	Geedgarh	Sh Amba Ram	Commercial soil sale
3	407	Geedgarh	Sh Maangu Gurjar	Commercial extraction
4	401/2, 398/2	Geedgarh	Govt land misuse	Illegal excavation
5	496	Geedgarh	Sh Mukesh Prajapat	Deep excavation
6	241/1	Bhimpura	Sh Sharwan	Illegal sale
7	91	Bhimpura	Sh Kamlesh	Own use
8	103/3/2	Khajuria	Sh Ajay Prajapat & Sh Maangu Gurjar	Illegal + non-exempt
9	186/2/2	Khajuria	Sh Radheshyam & Sh Shreepal	Illegal excavation
10	183	Khajuria	Sh Kishan Singh	Ongoing illegal
11	95/1	Juna Nagda	Sh Peeru Lal	Unauthorized excavation
12	104/1	Juna Nagda	Sh Shankar Prajapat	Large-scale illegal
13	88/4	Juna Nagda	Sh Bhom Singh	Past excavation
14	223	Juna Nagda	Sh Aashiq Sabir	Unauthorized excavation


5.0 Recommendations

- i. In absence of any specific classification for clamp-type brick manufacturing units, it is recommended that MPPCB, in coordination with CPCB, undertake classification of such units based on their pollution potential. In the interim, considering the nature of operations involving significant fugitive emissions, coal consumption, and cluster-based functioning, these units may be treated under the “Orange Category”, and all such units shall operate only after obtaining valid Consent to Operate (CTO) from MPPCB.
- ii. The exemption provisions under Rule 3 of MMDR, 1996 may be strictly limited to traditional, non-commercial activities and use of mechanized equipment such as JCBs under such exemption may be regulated/curtailed appropriately.
- iii. It is observed that illegal mining is being carried out not only by exempted communities but also by non-exempted persons, primarily

due to absence of designated mineable areas, lack of revenue authentication, non-issuance of transit passes, and inadequate enforcement mechanisms. In this regard, it is recommended that Gram Sabhas undertake identification of mineable areas on priority, followed by due authentication through the Revenue Department. Further, a transparent and coordinated mechanism involving Gram Sabha, Revenue Department, Mining Department, under the supervision of the District Collector, may be established to facilitate legitimate extraction by eligible communities while effectively preventing unauthorized activities.

- iv. Appropriate legal proceedings may be initiated against identified violators & accordingly financial penalties shall be imposed on the violators of illegal mining sites in accordance with the prevailing provisions of the MMDR Act and applicable rules, and the recovered amount may be utilized for environmental restoration and rehabilitation of the affected areas.
- v. The Mining Department shall ensure compliance with environmental safeguards, including adherence to the maximum permissible excavation depth (≤ 3 meters), implementation of mine reclamation and restoration measures, and maintenance of adequate buffer distances from rivers, water bodies, habitation, and other sensitive receptors.
- vi. A coordinated monitoring framework may be established involving the Mining Department, MPPCB, and District Administration supported by satellite monitoring, drone surveillance, and periodic inspections to ensure effective enforcement.
- vii. In place of clamp-based brick manufacturing units, it is recommended that the State Government, in alignment with national initiatives, promote the adoption of environmentally compliant technologies such as zig-zag brick kilns. Targeted capacity building, technical support, and financial assistance may be extended, particularly to traditionally exempted communities, to facilitate this transition. Consolidation of numerous small, unregulated units into a limited number of standardized zig-zag kilns (e.g., 4-5 units in each village) would significantly improve emission control, enhance fuel efficiency, reduce environmental impacts, and streamline regulatory compliance, thereby aligning the sector with CPCB guidelines and sustainable practices across the country.


(Ranjana Patidar)
 SDM
 Nagda


(Sunil Kr Meena)
 Scientist-E
 Bhopal


(Dr Deepak Kale)
 Regional Officer
 Ujjain

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ F19-1/2013/12/1 (पाटी)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-4-13

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा स्वयं के बजट से कराये जाने वाले कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिए रायल्टी से छूट है। इसमें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के प्रवधान के अनुसार ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिए इन नियमों की कोई भी बात लागू नहीं होती है।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 को संशोधन किया गया है इसके अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन, किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य एककी सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, प्रतिबंधित रहेगा।

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को सार्वजनिक कार्य के लिए शासन से बजट प्राप्त होता है। सार्वजनिक कार्यों के लिए गौण खनिज का उपयोग किया जाता है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत इस गौण खनिज पर रायल्टी देय नहीं होती है। सार्वजनिक कार्यों के लिए कई बार गौण खनिज संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में गौण खनिज का परिवहन अन्यत्र स्थल से किया जाता है। गौण खनिज के परिवहन पर अभिवहन पारपत्र आवश्यक होते हैं, चूंकि नियम 3(तीन) के तहत छूट प्रावधानित है। जिससे व्यवहारिक रूप से यह अंतर करना कठिन होता है कि खनिज का परिवहन वैध रूप से हो रहा है या अवैध रूप से किया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती है।

1) समस्त ग्राम पंचायतें अपनी-अपनी पंचायतों में गौण खनिज की आवश्यकता होने पर ऐसे स्थल चिन्हित करें।

- 2) गौण खनिज के उत्खनन हेतु क्षेत्र चिह्नित किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्रपत्र-अ में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- 3) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-एक में प्राप्त आवेदन को प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा को प्रेषित करेंगे प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा तहसीलदार को प्रपत्र-ब में यह प्रतिवेदन देंगे कि चिह्नित किये जाने वाला स्थल पूर्व से खनिज/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनिपट्टा/व्यापारिक खदान/उत्खनन अनुज्ञा में धारित या आवेदित तो नहीं है। वे जिले जिनमें मुख्य खनिज की खनि रियायत स्वीकृत है, वे जिले प्रतिवेदन में यह भी लेख करेंगे कि इस क्षेत्र में मुख्य खनिज तो उपलब्ध नहीं है।
- 4) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-अ में प्राप्त आवेदन पर संबंधित पटवारी से प्रपत्र-स में जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।
- 5) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-द में ग्राम पंचायत को आवेदित क्षेत्र के संबंध में गौण खनिज के उत्खनन हेतु स्थल चिह्नित करने हेतु सूचना दी जायेगी।
- 6) ग्राम पंचायत गौण खनिज के परिवहन हेतु प्रपत्र-ई में तहसीलदार को अभिवहन पारपत्र प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-ई में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-पाँच में मुद्रित अभिवहन पारपत्र बिना कोई शुल्क प्राप्त किए, जारी किये जायेंगे। जारी अभिवहन पारपत्रों का अभिलेख प्रपत्र-फ में तहसीलदार द्वारा संधारित किया जायेगा। ग्राम पंचायत हेतु जारी अभिवहन पारपत्र के पृष्ठ पर तहसीलदार द्वारा कार्यालयीन मुद्रा (रबर सील) अंकित की जायेगी। गौण खनिज का परिवहन इस प्रकार से जारी अभिवहन पारपत्र के माध्यम से किया जायेगा।
- 7) अभिवहन पारपत्र पुस्तिकाएं प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म से प्राप्त कर तहसील कार्यालय को प्रदान की जायेंगी। इस प्रकार से जारी किये जाने वाले अभिवहन पारपत्र का मुद्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से नियमानुसार कराया जायेगा।
- 8) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें गौण खनिज उपलब्ध न हो वे ग्राम पंचायतें निकटस्थ ग्राम पंचायत जिनमें गौण खनिज उपलब्ध हो उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर गौण खनिज का उत्खनन कर सकेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.के.शिवानी)
अवर सचिव, खनिज साधन विभाग

पृ०क्रमांक F 19-1/2013/12/1 (घाट)
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10-4-13

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त आयुक्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारि अधिकारी, ई-खनिज की ओर ई-खनिज वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।


अवर सचिव
खनिज साधन विभाग

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा
गौण खनिज के उत्खनन हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील..... जिला (म०प्र०)

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत गौण खनिज के उत्खनन के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है, विवरण निम्नानुसार है :-

- 1) ग्राम पंचायत का नाम :
- 2) ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का विवरण :
- 3) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य की स्वीकृति का विवरण :
- 4) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य हेतु आवंटित बजट का विवरण.
- 5) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य की अवधि :
- 6) गौण खनिज का नाम एवं इसकी उपयोग किए जाने वाली मात्रा (घ.मी.) :
- 7) प्राप्त किये जाने वाले गौण खनिज के उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल :

असरा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
--------------	------	-------	-------	------

.....

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

सचिव, ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर

नाम

सरपंच, ग्राम पंचायत

कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, जिला.....

प्रपत्र-ब

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील.....
जिला.....(म०प्र०)

विषय : मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत खनिज के संबंध में प्रतिवेदन।

आपके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक
..... अक्षर क्रमांक..... रकबा ग्राम.....
तहसील..... जिला..... खनिज का नाम की
जानकारी के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है। इसके संबंध में लेख है कि यह क्षेत्र कार्यालयीन अभिलेखानुसार पूर्व से खनिज/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनिज/व्यापारिक खदान/अस्थायी अनुज्ञा में धारित या आवेदित नहीं है/है। यह क्षेत्र मुख्य खनिज का क्षेत्र नहीं है/है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-.....

नोट : मुख्य खनिज हेतु जिले में खनिज रियायत स्वीकृत होने की स्थिति में ही मुख्य खनिज के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाये।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत उत्खनन स्थल चिह्नित किये जाने हेतु पटवारी का जांच प्रतिवेदन

प्रपत्र-स

कार्यालय पटवारी, हल्का क्रमांक ग्राम..... तहसील

क्रमांक
प्रति,

दिनांक

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान तहसील
जिला(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत आवश्यक जांच प्रतिवेदन।

ग्राम पंचायत तहसील

जिला द्वारा कार्य हेतु गौण खनिज का नाम तथा मात्रा घनमीटर, सार्वजनिक कार्य यथा हेतु स्थान चिह्नित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक को किया गया। स्थल निरीक्षण उपरांत यह पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक ग्राम तहसील में स्थित है। यह स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या तालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, है/नहीं है तथा आवेदित क्षेत्र में पूर्व से कोई खदान संचालित नहीं है/है।

पटवारी के हस्ताक्षर
नाम-
हल्का क्रमांक

कार्यालय तहसीलदार
तहसील जिला (म0प्र0)

ग्राम पंचायत को गौण खनिज के उत्खनन हेतु स्थल चिन्हित किये जाने की सूचना

क्रमांक

दिनांक

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत गौण खनिज के उत्खनन हेतु स्थान चिन्हित कर इसके उत्खनन की अनुमति निम्नानुसार दी जाती है :-

- i) ग्राम पंचायत का नाम :
- 2) ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का विवरण :
- 3) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य की स्वीकृति का विवरण :
- 4) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य हेतु आवंटित बजट का विवरण:
- 5) ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य की अवधि :
- 6) गौण खनिज का नाम एवं इसकी उपयोग किए जाने वाली मात्रा (घ.मी.) :
- 7) प्राप्त किये जाने वाले गौण खनिज के उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल :

खसरा क्रमांक

रकबा

ग्राम

तहसील

जिला

.....

उत्खनन हेतु चिन्हित स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, नहीं है।

दिनांक :

तहसीलदार

तहसील

जिला

..... दिनांक

पृ0क्रमांक

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राम पंचायत तहसील जिला की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार

तहसील

जिला

अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 स्थान तहसील
 जिला.....

विषय : अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

यह कि ग्राम पंचायत तहसील..... जिला
 को श्रीमान के कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक
 द्वारा गौण खनिज (नाम) के उत्खनन हेतु स्थान चिन्हित कर अनुमति
 दी गई है (प्रति संलग्न)। इसके आधार पर खनिज (खनिज का नाम).....
 मात्रा(घनमीटर) के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र संख्या जारी
 करने का कष्ट करें।

पूर्व में कोई अभिवहन पारपत्र जारी नहीं किये गये हैं अथवा मेरे द्वारा पूर्व
 में जारी अभिवहन पारपत्र का उपयोग किया जा चुका है। इसकी द्वितीय प्रति क्रमांक
 से क्रमांक तक प्रस्तुत है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

दिनांक :

हस्ताक्षर
 नाम
 साचेव, ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर
 नाम
 सरपंच, ग्राम पंचायत

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(तीन) के तहत जारी
अभिवहन पारपत्रों का रजिस्टर

1. ग्राम पंचायत का नाम तहसील.....जिला.....
2. स्थान चिह्नित किये जाने का आदेश क्रमांकदिनांक.....
3. खनिज प्राप्त करने के स्थल का विवरण
 - (अ) खसरा क्रमांक
 - (ब) रकबा
 - (स) ग्राम एवं तहसील
4. उत्खनन की प्रमाणित अवधि
5. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का नाम
6. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा
7. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का उपयोग
8. अभिवहन पारपत्र का विवरण
 - (अ) जारी अभिवहन पारपत्र पुस्तिका का क्रमांक
 - (ब) अभिवहन पारपत्र जारी करने का दिनांक
 - (स) तहसीलदार के हस्ताक्षर
9. रिमार्क

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पाठ)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-4-13

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रदेश में कृषकों, ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों के निवास गृहों के सुधार, कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए गौण खनिज उत्खनन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा कृषकों, ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों के निवास गृहों के सुधार, कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए या कृषि कार्य के लिए बिना कोई रायल्टी दिये निःशुल्क उत्खनन किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके लिए उन्हें कोई उत्खननपट्टा आदि प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(दो) के प्रावधान के अनुसार गौण खनिज के ऐसे उत्खनन पर जो विक्रय के लिए नहीं किया जाकर कुओं के निर्माण या मरम्मत अथवा अन्य कृषि कार्यों के लिए या ग्रामों में निवास करने वाले कृषकों ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों के निवास गृहों के सुधार के प्रयोजन के लिए, इन नियमों की कोई भी बात लागू नहीं होती है।

3) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 को संशोधन किया गया है इसके अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन, किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, प्रतिबंधित रहेगा।

4) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 में नवीन नियम 3(क) प्रावधानित किया गया है। इसके अनुसार उपरोक्त छूट प्राप्त व्यक्ति का प्रमाणीकरण संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। इस प्रमाणीकरण में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज की मात्रा तथा खनन की कालावधि का लेख किया जायेगा। इस प्रमाणीकरण किये जाने के पश्चात संबंधित जिले का प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा बिना रायल्टी भुगतान के अभिवहन पास जारी किये जायेंगे तथा खनिज का परिवहन इसी अभिवहन पास के माध्यम से किया जायेगा।

5) उपरोक्त नियमों के प्रावधान को व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

- (1) उपरोक्त छूट प्राप्त व्यक्ति स्वयं की भूमि अन्य व्यक्तियों की भूमि से उनकी सहमति के आधार पर या शासकीय भूमि से गौण खनिज का उत्खनन कर

सकता है। परन्तु इसके पूर्व उसके द्वारा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-सात में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

- (2) प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन की जांच संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा की जायेगी तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा प्रपत्र-आठ में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से यह प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा कि विचाराधीन क्षेत्र पूर्व से खनिज/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनिज/व्यापारिक खदान/अस्थायी अनुज्ञा में धारित या आवेदित नहीं है। ऐसे जिले जिनमें मुख्य खनिज की खनिज रियायतें स्वीकृत हैं वे जिले यह भी प्रमाणित करेंगे कि विचाराधीन क्षेत्र मुख्य खनिज का क्षेत्र नहीं है। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-सात में प्राप्त आवेदन की प्रति प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा को भेजी जाएगी। प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा प्रपत्र-नौ में प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार/तहसीलदार को प्रेषित करेंगे।
- (4) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण प्रपत्र-दस में जारी किया जायेगा।
- (5) छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार को अभिवहन पारपत्र प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-ग्यारह में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा प्रपत्र-पाँच में मुद्रित पारपत्र जारी किया जायेगा।
- (6) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से प्राप्त अभिवहन पारपत्र पुस्तिकाओं में से छूट प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप खनिज के परिवहन हेतु प्रपत्र-पाँच में बिना कोई शुल्क लिये मुद्रित अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे। इनका लेखा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा पृथक रजिस्टर में प्ररूप-छह में संधारित किया जायेगा। अभिवहन पारपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यालयीन मुद्रा (रबर सील) अंकित की जाएगी। दूसरी बार अभिवहन पारपत्र जारी किये जाने की स्थिति में उपयोगित अभिवहन पारपत्र की द्वितीय प्रति भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त की जाएगी।
- (7) खनिज का परिवहन इस प्रकार से प्राप्त अभिवहन पारपत्र के माध्यम किया जायेगा।
- (8) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी अभिवहन पारपत्रों का रजिस्टर प्रपत्र-बारह में संधारित किया जायेगा।
- (9) संबंधित जिले का प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा मुद्रित अभिवहन पारपत्र तहसील कार्यालय को जारी करेंगे। प्रपत्र-पाँच अभिवहन पारपत्र का मुद्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा नियमानुसार कराया जायेगा। इस

प्रकार से मुद्रित अभिवहन पारपत्र की पुस्तिकाओं को सभी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.के. शिवानी)

अवर सचिव, खनिज साधन विभाग

पृ०क्रमांक F 19-1/2013/12/1 (पाठ्य)
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 18-4-13

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त आयुक्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर ई-खनिज वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।


अवर सचिव
खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण
प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान तहसील

जिला:(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(दो) के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति के नियम 3(क) के अंतर्गत प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पत्र।

निवेदन है कि आवेदक को कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार हेतु गौण खनिज की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(दो) के तहत छूट प्राप्त है। नियम 3(क) के तहत कृपया प्रमाणीकरण करने का कष्ट करें, विवरण इस प्रकार है :-

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. आवेदक का पता
4. वृत्ति
5. खनिज प्राप्त दिये जाने वाले क्षेत्र की

अवस्थिति-

खरारा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
---------------	------	-------	-------	------

6. भूमि का प्रकार (शासकीय/स्वयं की निजीभूमि/अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि होने पर भूमि स्वामी की सहमति संलग्न करें)
7. खनिज का नाम
8. खनिज का उपयोग (कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार)
9. कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार का स्थल ग्राम.....तहसील.....
10. खनिज की मात्रा(घनमीटर)
11. उपयोग की कालावधि दिनांक.....सेतक

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि गौण खनिज का उपयोग कुंओं के निर्माण या मरम्मत, कृषि कार्य, ग्राम में निवास गृह के प्रयोजन (जो लागू न हो उसे काट दें) के लिए किया जाना है। खनिज का विक्रय नहीं किया जायेगा। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, आवेदक दी गई जानकारी के लिए उत्तरदायी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण
प्राप्त करने हेतु पटवारी का जांच प्रतिवेदन

कार्यालय पटवारी, हल्का क्रमांक ग्राम..... तहसील

क्रमांक
प्रति,

दिनांक

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान तहसील
जिला(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत
प्रमाणीकरण करने हेतु जांच प्रतिवेदन।

आवेदक श्री आत्मज श्री

निवासी द्वारा कार्य हेतु गौण
खनिज का नाम तथा मात्राघनमीटर, कुओं के निर्माण
अथवा मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृहों के सुधार (जो लागू न हो उसे काट दें) हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया है। आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक को किया गया।
स्थल निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक ग्राम ...
..... तहसील में स्थित है। यह स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य
राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर,
जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य
पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के
भीतर, है/नहीं है तथा आवेदित क्षेत्र में पूर्व से कोई खदान संचालित नहीं है/है।

आवेदक कृषक/ग्रामीण कारीगर/श्रमिक है (जो लागू न हो उसे काट दें)। आवेदक को
कुओं के निर्माण या मरम्मत/कृषि कार्यों के लिए/निवास गृह के सुधार के लिए गौण
खनिज आवश्यक है।

पटवारी के हस्ताक्षर
नाम-
हल्का क्रमांक

प्रपत्र-नौ

कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, जिला.....

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील.....
जिला.....(म०प्र०)

विषय : मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(2) के तहत खनिज के संबंध में प्रतिवेदन।

आपके द्वारा आवेदक श्री का प्रमाणीकरण क्रमांक दिनांक..... खसरा क्रमांक..... रकबा ग्राम..... तहसील..... जिला..... खनिज का नाम की जानकारी के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है। इसके संबंध में लेख है कि यह क्षेत्र कार्यालयीन अभिलेखानुसार पूर्व से खनिपट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनिपट्टा/व्यापारिक खदान/अस्थायी अनुज्ञा में धारित या आवेदित नहीं है/है। यह क्षेत्र मुख्य खनिज का क्षेत्र नहीं है/है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला-.....

नोट : मुख्य खनिज हेतु जिले में खनि रियायत स्वीकृत होने की स्थिति में ही मुख्य खनिज के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाये।

कार्यालय
नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील..... जिला.....(म०प्र०)

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण

क्रमांक

दिनांक

आवेदक को कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार हेतु गौण खनिज की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(दो) के तहत छूट प्राप्त है। नियम 3(क) के तहत निम्नानुसार प्रमाणीकरण किया जाता है :-

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. आवेदक का पता
4. वृत्ति (कृषक/ग्रामीण कारीगर/श्रमिक)
5. खनिज प्राप्त किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति-

खसरा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
--------------	------	-------	-------	------

- | | |
|--|-----------------------|
| 6. भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी) | |
| 7. खनिज का नाम | |
| 8. खनिज का उपयोग (कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार) | |
| 9. कुंओं का निर्माण/मरम्मत/कृषि कार्य/निवास गृह के सुधार का स्थल | ग्राम.....तहसील..... |
| 10. खनिज की मात्रा |(घनमीटर) |
| 11. उत्खनन/उपयोग की कालावधि | दिनांक.....सेतक |

उत्खनन हेतु प्रमाणित स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किराई संरचना से 100 मीटर, अब्द पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, नहीं है।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील

पृ०क्रमांक

..... दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राम सभा ग्राम तहसील जिला की ओर सूचनार्थ।
3. आवेदक श्री आत्मज श्री निवासी की ओर सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील
जिला

प्रपत्र-ग्यारह

अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 स्थान तहसील
 जिला.....

विषय : अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को श्रीमान के कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा प्रमाणीकरण जारी किया गया है (प्रति संलग्न)। इस प्रमाणीकरण के आधार पर खनिज (खनिज का नाम)..... मात्रा(घनमीटर) के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र संख्या जारी करने का कष्ट करें।

पूर्व में कोई अभिवहन पारपत्र जारी नहीं किये गये हैं अथवा मेरे द्वारा पूर्व में जारी अभिवहन पारपत्र का उपयोग किया जा चुका है। इसकी द्वितीय प्रति क्रमांक से क्रमांक तक प्रस्तुत है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
 नाम:
 पता:

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(दो) के तहत जारी
अभिवहन पारपत्रों का रजिस्टर

1. नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण का क्रमांक एवं दिनांक
2. आवेदक का नाम तथा पता
3. खनिज प्राप्त करने के स्थल का विवरण
 - (अ) खसरा क्रमांक
 - (ब) रकबा
 - (स) ग्राम एवं तहसील
4. उत्खनन की प्रमाणित अवधि
5. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का नाम
6. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा
7. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का उपयोग
8. अभिवहन पारपत्र का विवरण
 - (अ) जारी अभिवहन पारपत्र पुस्तिका का क्रमांक
 - (ब) अभिवहन पारपत्र जारी करने का दिनांक
 - (स) नायब तहसीलदार/तहसीलदार के हस्ताक्षर
9. रिमार्क

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

आ.शा. समय सीमा दी.अर. रजिस्टर्ड पो./किम	
कार्यालय कलेक्टर खण्डगा	
आ.क्र.	आगत
196	खनिज
8 APR 2013	
अधीक्षक	

क्रमांक एफ 19-1/2013/1 (पाई)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-4-13

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रदेश में अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मिट्टी उत्खनन कर परम्परागत तरीके से ईंट, क्वेलू, बर्तन आदि निर्माण के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समिति को जो कि परम्परागत साधनों से क्वेलू, बर्तन या ईंट का निर्माण करते हैं को मिट्टी तथा रेत का बिना कोई रायल्टी दिये निःशुल्क उत्खनन किये जाने के प्रावधान किये गये है। इसके लिए उन्हें कोई उत्खनिपट्टा आदि प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2) इसके लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) प्रावधानित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समिति द्वारा परम्परागत साधनों से क्वेलू, बर्तन या ईंट निर्माण के लिए परन्तु भट्टों में निर्माण क्रिया द्वारा यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं, को मिट्टी या रेत उत्खनन के लिए यह नियम लागू नहीं होते हैं। मिट्टी या रेत का उत्खनन उस क्षेत्र में किया जायेगा जिसे की संबंधित ग्राम सभा निर्धारित करे।

3) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 को संशोधन किया गया है इसके अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन, किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, प्रतिबंधित रहेगा।

4) उपरोक्त सुविधा का लाभ दिये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि समस्त कलेक्टर अपने जिले की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों की ग्राम सभा से मिट्टी तथा रेत के उत्खनन हेतु क्षेत्र चिन्हित कराये, चिन्हित किये गये खसरो की जानकारी खरारा पांचशाला के कालम क्रमांक 12 में तथा निस्तार पत्रक में भी दर्ज कराने की कार्यवाही करें।

5) ऐसे चिन्हित क्षेत्रों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य क्षेत्र पर उत्खनन किये जाने के लिए आवेदन किया जाता है तब उन क्षेत्रों का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करने पर ऐसे क्षेत्रों को भी उत्खनन हेतु प्रदान किया जा सकेगा।

6) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में दिनांक 23 मार्च 2013 में नवीन नियम 3(क) प्रावधानित किया गया है। इसके अनुसार उपरोक्त छूट प्राप्त व्यक्ति का प्रमाणीकरण संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। इस प्रमाणीकरण में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज की मात्रा तथा खनन की कालावधि का लेख किया जायेगा। इस प्रमाणीकरण किये जाने के पश्चात संबंधित जिले का प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा बिना रायल्टी भुगतान के अभिवहन पास जारी किये जायेंगे तथा खनिज का परिवहन इसी अभिवहन पास के माध्यम से किया जायेगा।

7) ईट, कवेलू तथा बर्तन निर्माण के लिये कई बार निर्माण स्थल के पास खनिज मिट्टी अथवा रेत उपलब्ध नहीं होता है। जिसके कारण अन्यत्र स्थान से खनिज का परिवहन किया जाता है। खनिज के परिवहन में अभिवहन पारपत्र आवश्यक होता है। परन्तु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 के तहत छूट के प्रावधान के कारण यह सुनिश्चित किये जाने में कठिनाई होती है कि छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा है अथवा इनकी आड़ में अन्य व्यक्तियों द्वारा खनिज का अवैध परिवहन किया जा रहा है।

8) उपरोक्त प्रावधानों को व्यवहारिक रूप से लागू किये जाने के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित करती है :-

- (1) उपरोक्त छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार को प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-एक में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन की जांच संबंधित पटवारी द्वारा की जायेगी तथा पटवारी द्वारा प्रपत्र-दो में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण प्रपत्र-तीन में जारी किया जायेगा।
- (4) छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-चार में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा तहसील कार्यालय को मुद्रित अभिवहन पार पुस्तिकाएँ प्रदान की जायेंगी। जिसका अभिलेख तहसीलवार संधारित किया जायेगा।
- (6) संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से प्राप्त अभिवहन पार पुस्तिकाओं में से छूट प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप खनिज के परिवहन हेतु प्रपत्र-पाँच में बिना कोई शुल्क लिये मुद्रित अभिवहन पारपत्र जारी किये जायेंगे। इनका लेखा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा पृथक् रजिस्टर में प्ररूप-छह में संधारित किया जायेगा। अभिवहन पारपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यालयीन मुद्रा (रबर सील) अंकित की जाएगी। दूसरी बार अभिवहन पारपत्र जारी किये जाने की स्थिति में उपयोगित अभिवहन पारपत्र की द्वितीय प्रति भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त की जाएगी।

- (7) खनिज का परिवहन इस प्रकार से प्राप्त अभिवहन पारपत्र के माध्यम से किया जाएगा।
- (8) रायल्टी छूट अभिवहन पारपत्र प्रपत्र-पाँच का मुद्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा कराया जायेगा तथा इन्हें समस्त जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विषयांतर्गत जारी परिपत्र क्रमांक एफ 19-18/2002/12/2 दिनांक 21 मई 2002 को एतद्द्वारा अतिक्रमित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.बी. शिवानी)

अवर सचिव, खनिज साधन विभाग

पृ० क्रमांक F 19-1/2003/12/1 (पाठ)

भोपाल, दिनांक 10-4-03

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त आयुक्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, 3 हस्तशिल्प भवन, हमीदिया रोड़, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड, चित्तौड़ काम्प्लेक्स, प्रथम तल, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर ई-खनिज वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
11. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

अवर सचिव
खनिज साधन विभाग

प्रपत्र-“एक”

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण
प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का फार्म

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान तहसील
जिला(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति के नियम 3(क) के अंतर्गत प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पत्र।

निवेदन है कि आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था है (जो लागू न हो उसे काट दें), जिन्हें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत छूट प्राप्त है। नियम 3(क) के तहत कृपया प्रमाणीकरण करने का कष्ट करें, विवरण इस प्रकार है :-

1. आवेदक/संस्था का नाम
2. पिता का नाम
3. आवेदक/संस्था का पता
4. वर्ग (अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति-

खसरा क्रमांक रकबा ग्राम तहसील जिला

6. भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी)
आवेदित क्षेत्र ग्राम सभा द्वारा चिन्हित है
अथवा नवीन क्षेत्र है
7. खसरा पांचशाला में कालम 12 में दर्ज होने की स्थिति में नकल संलग्न करें अन्यथा की स्थिति में ग्राम सभा का अनुमोदन संलग्न किया जाये
8. खनिज का नाम (मिट्टी/रेत)
9. खनिज का उपयोग (ईट, कवेलू, बर्तन निर्माण)
10. ईट, कवेलू, बर्तन निर्माण का स्थल ग्राम.....तहसील.....
11. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा(घनमीटर)
12. उत्खनन की कालावधि दिनांक.....सेतक

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है। जिसके लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रपत्र-“दो”

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण
प्राप्त करने हेतु पटवारी का जांच प्रतिवेदन

कार्यालय पटवारी, हल्का क्रमांक ग्राम..... तहसील

क्रमांक
प्रति,

दिनांक

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
स्थान तहसील
जिला(मध्यप्रदेश)

विषय :- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत
प्रमाणीकरण करने हेतु जांच प्रतिवेदन।

आवेदक श्री आत्मज श्री

निवासी द्वारा कार्य हेतु गौण
खनिज मिट्टी/रेत मात्राघनमीटर उत्खनन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया
है। आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक को किया गया। स्थल निरीक्षण
उपरान्त यह पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक ग्राम
तहसील ग्राम पंचायत द्वारा उत्खनन हेतु निर्धारित स्थल है
अथवा खसरा पांचशाला के कालम 12 में चिह्नित क्षेत्र है। यह स्थल किसी पुल,
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध,
नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर,
अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी
के भीतर, है/नहीं है।

आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी
संस्था है/अथवा नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

पटवारी के हस्ताक्षर
नाम-
हल्का क्रमांक

कार्यालय
नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील..... जिला..... (म०प्र०)

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत प्रमाणीकरण

क्रमांक

दिनांक

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(एक) के तहत आवेदक, अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था है (जो लागू न हो उसे काट दें) छूट प्राप्त होने तथा उत्खनन स्थल ग्राम सभा द्वारा चिन्हित अथवा खसरा पांचशाला के कालम 12 में क्षेत्र दर्ज होने के आधार पर नियम 3(क) के तहत निम्नानुसार प्रमाणीकरण किया जाता है :-

1. आवेदक/संस्था का नाम
2. पिता का नाम
3. आवेदक/संस्था का पता
4. वर्ग (अनुवांशिक कुम्हार/अनुसूचित जाति/जनजाति या इनके सदस्यों की सहकारी संस्था)
5. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति-

खसरा क्रमांक	रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
--------------	------	-------	-------	------

- | | |
|---|-----------------------|
| 6. भूमि का प्रकार (शासकीय/निजी) | |
| 7. खनिज का नाम (मिट्टी/रेत) | |
| 8. खनिज का उपयोग (ईट, कवेलू, बर्तन निर्माण) | |
| 9. ईट, कवेलू, बर्तन निर्माण का स्थल | ग्राम.....तहसील..... |
| 10. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा |(घनमीटर) |
| 11. उत्खनन की कालावधि | दिनांक.....सेतक |

उत्खनन हेतु प्रमाणित स्थल किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली किसी संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर, नहीं है।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील

जिला

पृ० क्रमांक
प्रतिलिपि :-

..... दिनांक

1. कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्राम सभा ग्राम तहसील जिला की ओर सूचनार्थ।
3. आवेदक श्री आत्मज श्री निवासी की ओर सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील
जिला

अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार/तहसीलदार
 स्थान तहसील
 जिला.....

विषय : अभिवहन पारपत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को श्रीमान के कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा प्रमाणीकरण जारी किया गया है (प्रति संलग्न)। इस प्रमाणीकरण के आधार पर खनिज (खनिज का नाम)..... मात्रा(घनमीटर) के परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र संख्या जारी करने का कष्ट करें।

पूर्व में कोई अभिवहन पारपत्र जारी नहीं किये गये हैं अथवा मेरे द्वारा पूर्व में जारी अभिवहन पारपत्र का उपयोग किया जा चुका है। इसकी द्वितीय प्रति क्रमांक से क्रमांक तक प्रस्तुत है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
 नाम:
 पता:

रायल्टी मुक्त अभिवहन पारपत्र
(म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 3 के अधीन)

जिला

पास बुक क्रमांक

अभिवहन पास क्रमांक

छूट प्राप्त व्यक्ति का नाम

खनिज का नाम

खदान तथा ग्राम का नाम तहसील जिला

प्रमाणीकरण की कालावधि दिनांक से दिनांक तक

1. खदान से भेजने की तारीख समय पूर्वाह्न/अपराह्न
2. गंतव्य तक पहुंचने की तारीख समय पूर्वाह्न/अपराह्न
3. ले जाए जाने वाली खनिज की मात्रा (घ.मी. में)
4. ले जाये जाने वाला गंतव्य स्थान
5. गंतव्य की दूरी कि.मी.
6. ले जाए जाने वाले खनिज का मूल्य
7. ट्रक/ट्रेक्टर का क्रमांक या बैलगाड़ी वाले का नाम

.....
वाहन चालक के हस्ताक्षर.....
छूट प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पणी:-

- (1) किसी भी प्रकार का उपरिलेखन नहीं होना चाहिए तथा स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए.
- (2) मूल प्रति गाड़ी के वाहक ड्राइवर (वाहक) को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी छूट प्राप्त व्यक्ति स्वयं के पास संभारित करेगा तथा इसे अन्य अभिवहन पारपत्र प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार/तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा.
- (3) एक वाहक को प्रत्येक ट्रिप के परिवहन के लिए केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जावेगा.

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3(क) के तहत जारी
अभिवहन पारपत्रों का रजिस्टर

1. प्रमाणीकरण का क्रमांक एवं दिनांक
2. आवेदक/संस्था का नाम तथा पता
3. उत्खनन स्थल का विवरण
- (अ) खसरा क्रमांक
- (ब) रकबा
- (स) ग्राम एवं तहसील
4. उत्खनन की प्रमाणित अवधि
5. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का नाम
6. उत्खनन किये जाने वाले खनिज की मात्रा
7. उत्खनन किये जाने वाले खनिज का उपयोग
8. अभिवहन पारपत्र का विवरण
- (अ) जारी अभिवहन पारपत्र पुस्तिका का क्रमांक
- (ब) अभिवहन पारपत्र जारी करने का दिनांक
- (स) नायब तहसीलदार/तहसीलदार के हस्ताक्षर
9. रिमार्क

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स : 0755-2551795
E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक 7679
प्रति,

/खनिज/विविध/न.क्र.126/2019

भोपाल, दिनांक 31/05/19

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय : अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ईट, कवेलू, बर्तन आदि के निर्माण में उपयोग होने वाले मिट्टी पर रायल्टी से छूट के संबंध में।


उपरोक्त विषय में दिनांक 23.03.2019 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सर्वसंबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


संचालक

पृ.क्रमांक /खनिज/विविध/न.क्र.126/2019 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त आयुक्त मध्यप्रदेश संभाग ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निज सहायक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सी.एम. शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्री रमेश चन्द्र प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य प्रजापति (कुंभकार) संघ, हसनपुर तिनोतिया, पोस्ट चरनाल, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।


संचालक

कुम्हार जाति के लोगों के लिए रायल्टी से छूट के संबंध में दिनांक 23.03.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड के पत्र दिनांक 12.03.2019 से यह अवगत कराया गया था कि मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड की प्रबंधकारिणी सभा की 16वीं बैठक दिनांक 08.03.2018 में यह मुद्दा चर्चा में लाया गया कि म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2013 से प्रदेश में अनुवांशिक कुम्हार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मिट्टी उत्खनन कर परम्परागत तरीके से ईंट, कवेलू, बर्तन आदि निर्माण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा मिट्टी उत्खनन करने में अड़चनें लगाकर चालानी कार्यवाही की जा रही है, जिससे माटी कामगारों को आर्थिक क्षति हो रही है।

म.प्र. राज्य प्रजापति (कुंभकार) संघ का आवेदन दिनांक 28.02.2019 प्राप्त हुआ था। जिसमें उन्होंने म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3(1) के अंतर्गत अनुवांशिक कुम्हारों को परम्परागत तरीकों से ईंट, बर्तन, कवेलू आदि बनाने में उपयोग में लायी जाने वाली मिट्टी के रायल्टी छूट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसमें और सरलता/स्पष्टता लाये जाने के लिए 10 बिन्दुओं की मांग की है।

उपरोक्त विषयों पर दिनांक 23.03.2019 को मंत्रालय, वल्लभ भवन स्थित प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की अध्यक्षता में उनके वल्लभ भवन स्थित कक्ष में बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित रहे -

1. श्रीमती सरिता बाला प्रजापति, उप सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग।
 2. श्री विनीत कुमार आस्टिन, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल।
 3. श्री सी.एम. शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. माटी कला बोर्ड, भोपाल।
 4. श्री प्रकाश पन्ने, उप संचालक (ख.प्र.) म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग।
 5. श्री रमेश चन्द्र प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री, म.प्र. राज्य प्रजापति (कुंभकार) संघ, हसनपुर तिनोनिया, पोस्ट चरनाल, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर म.प्र.।
- उक्त बैठक में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

01. म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3(1) में अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की समिति द्वारा परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन एवं ईंट बनाने के लिए ग्रामसभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर निरीक्षित और निर्धारित क्षेत्र से मिट्टी निःशुल्क उत्खनन कर सकेंगे। उन्हें ऐसे क्षेत्र से उत्खनन करने पर न तो रायल्टी देय है न ही किसी प्रकार की खनि रियायत प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु मिट्टी का उत्खनन किसी राष्ट्रीय/राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बाँध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जलमार्ग अथवा जल रोकने वाली

संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क, नालों से 50 मीटर एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर की दूरी तक उत्खनन नहीं किया जाएगा। उक्त नियम से स्पष्ट है कि मिट्टी का उत्खनन उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर नहीं किया जा सकता। परन्तु उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में ग्रामसभा द्वारा विनिश्चित क्षेत्र से मिट्टी उत्खनन कर लाकर ईंट, कवेलू, बर्तन बनाने पर खनिज अधिनियम/नियमों में कोई रोक नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि मिट्टी का उत्खनन व कवेलू, बर्तन या ईंट का निर्माण करना अलग-अलग क्रियाएँ हैं। अतः यदि कोई अनुवांशिक कुम्हार निर्धारित क्षेत्रों से मिट्टी लाकर उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में कवेलू, बर्तन या ईंट निर्माण का कार्य करता है तो इस संबंध में राजस्व विभाग को स्थिति स्पष्ट करते हुए उनके प्रावधान अनुसार निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जाये।

02. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि खनिज साधन विभाग द्वारा उक्त छूट को व्यवहारिक रूप से लागू किए जाने से परिपत्र दिनांक 10.04.2013 से जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, उसमें संलग्न प्रपत्र-1 के क्रमांक 12 एवं प्रपत्र-3 के क्रमांक 11 में उत्खनन की कालावधि निर्धारित नहीं है। यह कालावधि 3 वर्ष निर्धारित की जावे।
03. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्रामसभा द्वारा मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित क्षेत्र अंतर्गत सतह से केवल 3 मीटर की गहराई तक ही मिट्टी का उत्खनन किया जा सकेगा।
04. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि खनिज साधन विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2013 में छूट प्राप्त व्यक्ति/संस्था को 10,00,000 (दस लाख) की संख्या में कवेलू, ईंट, बर्तन बनाने की छूट यथावत लागू रहेगी।
05. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बैठक में लिए गए उपरोक्त निर्णयों के अनुक्रम में खनिज साधन विभाग के परिपत्र दिनांक 10.04.2013 के संदर्भ में स्पष्टीकरण समस्त जिलों को खनिज साधन विभाग द्वारा जारी किया जाए।
06. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छूट प्राप्त व्यक्तियों को गौण खनिज परिवहन हेतु जारी किये जाने वाले अभिवहन पारपत्र प्रदेश के प्रत्येक तहसील कार्यालयों में पूर्व से ही खनिज विभाग द्वारा रखवा दिये जायें।
बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


संचालक

भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

162
मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

वल्तम भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 404/2019/12-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/09/2019

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय: प्रदेश में अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मिट्टी उत्खनन कर परम्परागत तरीके से ईंट, कवेलू, बर्तन आदि निर्माण के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक एफ 19-1/2013/1 पार्ट दि. 10.04.2013

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति जो कि परम्परागत साधनों से ईंट, कवेलू या बर्तन का निर्माण करते हैं को मिट्टी या रेत का उपयोग बगैर रॉयल्टी का भुगतान किये उत्खनन किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, इसके लिए इन वर्गों को कोई उत्खनिपट्टा आदि प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भित पत्र में निर्मित की जाने वाली ईंटों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं होने से इस वर्ग विशेष को स्थानीय स्तर पर कठिनाईयों का सामना किये जाने संबंधी तथ्य राज्य सरकार के संज्ञान में लाये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्ग विशेष द्वारा परम्परागत तरीके से ईंट निर्माण किये जाने पर निर्मित की जाने वाली ईंटों की संख्या 10 लाख या उससे अधिक होने पर भी मिट्टी तथा रेत पर रॉयल्टी के भुगतान किये जाने की अनिवार्यता नहीं है, जारी किये गये ज्ञापन की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव 24.9.2019

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक: 404/2019/12-1
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त आयुक्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर ई-खनिज वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), म0प्र0 की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश की प्रति जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग